न्यायालय उप जिलाधिकारी/असिस्टेंट कलेक्टर, [illegible], [illegible] ।

मु0नं0- [illegible] सन् 2006-07

धारा- 143 ज0वि0अधिनियम

मौजा- [illegible] परगना [illegible] तहसील

[illegible] जिला- [illegible] ।

आवेदक बनाम राज्य

निर्णय/आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवेदक [illegible] पुत्र [illegible] निवासी [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] द्वारा अन्तर्गत धारा- 143 उ0प्र0ज0वि0अ0 के तहत इस आशय के साथ दाखिल किया गया है कि प्रार्थी आराजी नं0 370 रकबा 0-200 हेक्टेयर मौजा [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] का मालिक व संक्रमणीय भूमिधर है तथा मौके पर काबिज दाखिल है। आराजी मिजाई प्रार्थी द्वारा अकृषिक प्रयोजन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उक्त आराजी पूर्णतः व्यावसायिक रूप में उपयोग किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी को कृषि भूमि से निकाल कर अकृषिक भूमि घोषित किये जाकर लगान मुक्त करते हुए [illegible] दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

नियमानुसार तहसीलदार [illegible] से जाँच कराई गयी तहसीलदार [illegible] की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होकर प्रस्तुत हुआ तत्पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी हुआ। [illegible] जिला शासकीय अधिवक्ता की तरफ से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया कि विवादित भूखण्ड का अंकन [illegible] विरुद्ध [illegible] में होने के कारण तथा धारा 166, 167 की कार्यवाही से बचने के लिए वाद दाखिल किया गया है। यह कि दावा वादी डिक्री किए जाने से उ0प्र0 सरकार एवं ग्राम पंचायत [illegible] की अपूर्णनीय क्षति होगी तथा अन्य तमाम कारणों से दावा वादी [illegible] रूप से निरस्त किये जाने योग्य है। जिसके विरुद्ध वादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया कि प्रार्थना पत्र राज्य सरकार उत्तर प्रदेश आधारहीन है। अतः निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी विवादित आराजी का मालिक संक्रमणीय भूमिधर काबिज दाखिल है। प्रार्थना पत्र उ0प्र0 सरकार विधि विरुद्ध है। अतः खारिज किये जाने योग्य है। नायब तहसीलदार [illegible] ने अपनी रिपोर्ट दि0 10-1-07 में कहा है कि विवादित आराजी अकृषिक है और उस पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। क्षेत्रीय लेखपाल का बयान दर्ज किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल ने अपने

-2/

भाग में विवादित भू-भाग का प्रयोग आबादी रूप में होना बताया है और कहा है कि वर्तमान में पेट्रोल पम्प स्थापित है। गाटा 143 के साथ शामिल चौक आबादी दर्ज किया जाये।

उपाधिकारी के विद्वान अधिवक्ता की सम्पूर्ण बहस को सुना। [illegible] के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि विवादित आराजी पर काफी समय से पेट्रोल पम्प स्थापित है और उक्त आराजी का प्रयोग आबादी [illegible] के रूप में किया जा रहा है तथा उक्त आराजी को शामिल चौक आबादी घोषित करके भू-राजस्व से मुक्त किया जाये। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि विवादित आराजी [illegible] के पृष्ठ 127 में दर्ज है तथा आबादी शामिल चौक दर्ज किये जाने का औचित्य/न्यायसंगत भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि गाटा 143 के अन्तर्गत भू-भाग [illegible] अथवा किसी अन्य स्रोत से यह जानकारी होने पर कि उस भाग का प्रयोग आबादी हो रहा है तो [illegible] द्वारा आबादी घोषित कर दिया जायेगा।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की सम्पूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध कागजातों का विधिवत अध्ययन एवं परीक्षण किया। पत्रावली पर उपलब्ध कागजातों व नायब तहसीलदार की रिपोर्ट से यह परिलक्षित होता है कि विवादित आराजी का प्रयोग आबादी रूप में किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी को आबादी भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

अतः तहसीलदार [illegible] की आख्या से सहमत होते हुए मौजा [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] गाटा सं० 370 रकबा 0.200 हे० को [illegible] शामिल चौक आबादी दर्ज हो तथा भू-राजस्व से मुक्त की जाती है। [illegible] आवश्यक कार्यवाही [illegible] पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 18.6.02

उप जिलाधिकारी/न्यायिक श्रेणी,
[illegible], [illegible]।

नकल [illegible]
सूचना [illegible]
[illegible] 1/70

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]